M-272
मोग
14/01/05

R-10947
16/9/04

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

P.O. — 350
KM — 30
Delhi — 100
CPB — 220
किया

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 381] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 2, 2004/भाद्र 11, 1926

No. 381] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 2, 2004/BHADRA 11, 1926

indiacode

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2004

सा.का.नि. 563(अ).—केन्द्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की उप-धारा (2) के खंड (फ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किसी न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा जांच करने के लिए प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इस नियमों का संक्षिप्त नाम न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा जांच करने के लिए प्रक्रिया नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अधिनियम'' से विद्युत अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है;

(ख) ''न्याय निर्णायक अधिकारी'' से अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त न्याय निर्णायक अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. **न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा जांच करने के लिए प्रक्रिया.**—(1) जब कभी केन्द्रीय आयोग कोई निर्णायक अधिकारी नियुक्त करता है तो नियुक्ति के आदेश की एक प्रति संबंधित व्यक्ति को दी जाएगी।

(2) अधिनियम के अधीन जांच करने में न्याय निर्णायक अधिकारी प्रथमत: संबद्ध व्यक्ति को एक सूचना जारी करेगा, जिसमें उससे ऐसी सूचना के जारी करने की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर उसके विरुद्ध क्यों जांच न की जाए, उसका कारण दर्शित करने की अपेक्षा होगी।

(3) उप-नियम (2) के अधीन प्रत्येक सूचना में कारित किए जाने वाले अभिकथित उल्लंघन की प्रकृति उपदर्शित की जाएगी।

(4) यदि कारण पर विचार करने के पश्चात्, यदि कोई है, जो संबद्ध व्यक्ति द्वारा दर्शित किया गया है या जहां कोई कारण दर्शित नहीं किया गया है वहां न्याय निर्णायक अधिकारी की यह राय है कि जांच की जानी चाहिए, वहां वह अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से उपसंजात होने के लिए तारीख नियत करते हुए सूचना जारी करेगा।

(5) न्याय निर्णायक अधिकारी संबद्ध व्यक्ति को ऐसे साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान करेगा जिसे वह जांच के लिए सुसंगत और आवश्यक समझता है।

(6) यदि कोई व्यक्ति उप-धारा (2) के अधीन यथा अपेक्षित न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहता है, उपेक्षा करता है या इंकार करता है तो वह न्याय निर्णायक अधिकारी, ऐसा करने के लिए कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में जांच करने के लिए अग्रसर हो सकेगा।

(7) न्याय निर्णायक अधिकारी जांच करते समय जहां तक संभव हो, उस प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो केन्द्रीय आयोग की कार्यवाहियों में अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसको शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन में अनुसरित की जाती है।

(8) न्याय निर्णायक अधिकारी अपनी नियुक्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर जांच को पूरा करेगा।

(9) जहां साठ दिन की अवधि के भीतर जांच न पूरी की जा सकती हो वहां न्याय निर्णायक अधिकारी कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् केन्द्रीय आयोग से साठ दिन की और अवधि के लिए समय विस्तार की मांग करेगा।

[फा. सं. 23/31/2003-आरएंडआर]

अजय शंकर, अतिरिक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 31th August, 2004

G.S.R. 563(E).—In exercise of the powers conferred by clause (v) of Sub-section (2) of Section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules regulating the procedure for holding the inquiry by an adjudicating officer, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Procedure for Holding Inquiry by Adjudicating Officer Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—(1) In these rules unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Electricity Act, 2003;

(b) "adjudicating officer" means the adjudicating officer appointed under Sub-section (1) of Section 143 of the Act;

(c) "section" means a section of the Act.

(2) Words and expression used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

3. **Procedure for holding Inquiry by adjudicating officer.**—(1) Whenever the Central Commission appoints an adjudicating officer, a copy of the appointment order shall be provided to the person concerned.

(2) In holding an inquiry under the Act, the adjudicating officer shall, in the first instance, issue a notice to the person concerned requiring him to show cause within twenty one days from the date of issue of such notice, as to why an inquiry should not be held against him.

(3) Every notice under Sub-rule (2) shall indicate the nature of contravention alleged to have been committed.

(4) If, after considering the cause, if any, shown by concerned person or where no cause is shown, the adjudicating officer is of the opinion that an inquiry should be held, he shall for reasons to be recorded in writing, issue a notice for fixing a date for the appearance of that person either personally or through an authorised representative.

(5) The adjudicating officer shall provide an opportunity to the concerned person to produce such evidence as he may consider relevant and necessary for the inquiry.

(6) If any person fails, neglects or refuses to appear before the adjudicating officer as required under Sub-rule (2), the adjudicating officer may proceed with the inquiry in the absence of such person after recording the reasons for doing so.

(7) The adjudicating officer, while holding an inquiry, shall follow as far as possible the same procedure as is followed in the proceedings of the Central Commission in exercise of its powers and in discharge of its functions under the provisions of the Act.

(8) The adjudicating officer shall complete the inquiry within sixty days from the date of his appointment.

(9) Where the inquiry may not be completed within the period of sixty days, the adjudicating officer may, after recording reasons in writing, seek extension of time from the Central Commission for a further period of sixty days.

[F. No. 23/31/2003-R&R]

AJAY SHANKAR, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

IndiaCode